



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 24, 2013/ज्येष्ठ 3, 1935

No. 156]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 24, 2013/JYAISTHA 3, 1935

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2013

संख्या 11-76/2011 (यू.जी. रेगु).—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उप-धारा (1) के खण्ड (झ), (ज) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1986 में संशोधन करने के लिये एतद्वारा निम्नलिखित और विनियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम, 2013 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम कार्यालय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1986 में, अनुसूची III हेतु निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

अनुसूची III (विनियम 7 देखें)

कामिल—ए—तिब—वा—जराहत पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम मानक

- यूनानी शिक्षा के उद्देश्य और प्रयोजन: यूनानी के बुनियादी सिद्धान्तों के साथ आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान व व्यावहारिक प्रशिक्षण से संयुक्त गहरी मौलिकता से सम्पन्न उद्भट विद्वता के स्नातकों को तैयार करना जिससे वे देश की चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता करने के लिये पूर्णतः सक्षम यूनानी पद्धति के चिकित्सक तथा शल्य चिकित्सक तथा अनुसंधानकर्ता हो सकेंगे।
- प्रवेश हेतु पात्रता : (क) कामिल—ए—तिब—वा—जराहत पाठ्यक्रम में प्रवेश: मुख्य कामिल—ए—तिब—वा—जराहत (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी—बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को निम्न में उत्तीर्ण होना होगा—

- (क) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान विषयों में पचास प्रतिशत पूर्ण योग के अंकों के साथ इन्टरमीडिएट (10+2) अथवा इसके समकक्ष परीक्षा तथा अभ्यर्थी को एक विषय के रूप में उर्दू या अरबी या फ़ारसी भाषा सहित 10 वीं दर्जा उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा विश्वविद्यालय या बोर्ड या पंजीकृत सोसायटी, जो भारत सरकार द्वारा ऐसी परीक्षा आयोजित कराने हेतु प्राधिकृत हो, द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में उर्दू की परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा; अथवा
- (ख) एक वर्ष की अवधि की प्राग-तिब् परीक्षा।
- (ख) प्राग-तिब् पाठ्यक्रम में प्रवेश—एक वर्षीय प्राग-तिब् पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को निम्न में उत्तीर्ण होना होगा,—
- (क) इन्टरमीडिएट परीक्षा (10+2) के समकक्ष प्राच्य अर्हता जैसा कि निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट है; अथवा

तालिका

यूनानी उपाधि पाठ्यक्रम के प्राग-तिब् पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजन हेतु हायर सैकेन्ड्री अथवा इन्टरमीडिएट अथवा 12 वीं दर्जा के समकक्ष अरबी फ़ारसी में प्राच्य अर्हता की सूची—

क्रम संख्या	संस्था का नाम	अर्हता
1.	लखनऊ विश्वविद्यालय	फ़ाजिल—ए—अदब अथवा फ़ाजिल—ए—तफसीर
2.	दारुल उलूम नदवतुल—उल्मा, लखनऊ	फ़ाजिल
3.	दारुल, उलूम, देवबंद, जिला—सहारनपुर	फ़ाजिल
4.	अल—जामियत—उल सल्फियाह, मरकजी दारुल—उलूम, वाराणसी	फ़ाजिल
5.	अरबी व फ़ारसी परीक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद अथवा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ	फ़ाजिल
6.	मदरसा फ़ैजेआम, मऊ नाथ भंजन, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)	फ़ाजिल
7.	दारुल हदीस, मऊ नाथ भंजन, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)	फ़ाजिल
8.	जामियत—उल—फलाह, बिलरिया गंज, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)	फ़ाजिल
9.	दारुल उलूम अशरफिया-मिसबाहुल उलूम, मुबारकपुर, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)	फ़ाजिल
10.	जामिया सिराजुल उलूम, बूधीयार, गोंडा (उत्तर प्रदेश)	फ़ाजिल
11.	जामिया फारुकिया, सबराबाद, वाया शाहगंज, जिला—जौनपुर (उत्तर प्रदेश)	फ़ाजिल
12.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	आदिब—ए—फ़ाजिल
13.	दारुल उलूम अरबी महाविद्यालय, मेरठ शहर (उत्तर प्रदेश)	फ़ाजिल
14.	मदरसा मजाहिर उलूम, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)	फ़ाजिल
15.	राजकीय मदरसा—ए—अलिया, रामपुर	फ़ाजिल
16.	अल—जामियतुल इस्लामिया, नूर बाग, ठाड़े, मुंबई	फ़ाजिल
17.	अल—जामियत—उल मोहम्मदिया, मनसूरा, मालगाँव	फ़ाजिल
18.	अल—जामियतुल इस्लामिया इस—हात—उल उलूम, अक्कलकुआ, जिला—धूलिया	फ़ाजिल
19.	बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना	फ़ाजिल
20.	जामिया—तुस—सालेहत, रामपुर (उत्तर प्रदेश)	फ़ाजिल
21.	मदरसा—तुल—इस्लाह, सरायमीर, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)	फ़ाजिल
22.	जामिया दारुस सलाम, मलेरकोटला (पंजाब)	फ़ाजिल
23.	खैरुल उलूम, अल—जामियातुल इस्लामिया, डुमरिया गंज, जिला—सिद्धार्थ नगर (उत्तर प्रदेश)	फ़ाजिल
24.	मदरसा दारुल हुदा, यूसुफपुर, वाया नौगढ़, जिला—सिद्धार्थ नगर (उत्तर प्रदेश)	फ़ाजिल
25.	जामिया इस्लामिया अल्माहद ओखला, नई दिल्ली अथवा जामिया इस्लामिया सनाबिल, अबुल फज़ल एन्वलेव—II नई दिल्ली	फ़ाजिल
26.	दारुल उलूम अरविद्याह इस्लामिया, पोस्ट कनधारिया, मारुच (गुजरात)	फ़ाजिल
27.	दारुल उलूम राशिदिया, नागपुर	फ़ाजिल

(ख) राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इन्टरमीडिएट परीक्षा (10+2) के समकक्ष प्राच्य अर्हता।

3. **पार्षिक प्रवेश के द्वारा प्रवेश** : कामिल-ए-तिब-वा-जराहत (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी-बी.यू.एम.एस.) हेतु अनुमत प्रवेश क्षमता की कुल संख्या में से दस सीटें प्रति वर्ष मुख्य पाठ्यक्रम में पार्षिक प्रवेश (प्राग-तिब पाठ्यक्रम) के द्वारा प्रवेश हेतु आरक्षित होंगी।

4. **पाठ्यक्रम की अवधि** : (क) प्राग तिब पाठ्यक्रम: पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष होगी; तथा

(ख) उपाधि (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी-बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम: पाठ्यक्रम की अवधि पांच वर्ष तथा छः माह होगी जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

i. प्रथम व्यावसायिक सत्र -	बारह माह
ii. द्वितीय व्यावसायिक सत्र-	बारह माह
iii. तृतीय व्यावसायिक सत्र-	बारह माह
iv. अंतिम व्यावसायिक सत्र-	अट्ठारह माह
v. अनिवार्य आवर्ती विशिखानुप्रवेश-	बारह माह

5. **प्रदान की जाने वाली उपाधि** : अभ्यर्थी को सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के पश्चात् तथा निर्धारित अवधि में निर्धारित पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के पश्चात् तथा तत्पश्चात् 12 माह की अवधि के अनिवार्य आवर्ती विशिखानुप्रवेश को संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के पश्चात् कामिल-ए-तिब-वा-जराहत (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी-बी.यू.एम.एस.) उपाधि प्रदान की जाएगी।

6. **'शिक्षा का माध्यम** : पाठ्यक्रम हेतु शिक्षा का माध्यम उर्दू अथवा हिन्दी अथवा कोई मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय भाषा अथवा अंग्रेजी होगी।

7. **परीक्षा की योजना** : (1) **प्रथम व्यावसायिक सत्र** (क) प्रथम व्यावसायिक सत्र साधारणतया जुलाई में प्रारम्भ होगा तथा प्रथम व्यावसायिक परीक्षा प्रथम व्यावसायिक सत्र के एक शैक्षणिक वर्ष के अन्त में होगी;

(ख) प्रथम व्यावसायिक परीक्षा निम्नलिखित विषयों में होगी :-

- i. अरबी तथा मन्तिक वा फलसिफा;
- ii. कुल्लियात उमूरे तबिया (यूनानी चिकित्सा के मूलभूत सिद्धान्त);
- iii. तशरीहुल बदन (एनॉटमी);
- iv. मुनाफिउल आज़ा (फ़िज़ियोलॉजी)

(ग) दो विषयों से अनाधिक में अनुत्तीर्ण छात्र द्वितीय व्यावसायिक सत्र हेतु निबन्धन के लिए पात्र होगा, तथापि जब तक वह प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो जाता है, तब तक उसे द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) **द्वितीय व्यावसायिक सत्र**:-

(क) द्वितीय व्यावसायिक सत्र प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रारम्भ होगा तथा द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया द्वितीय व्यावसायिक सत्र के एक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष मई/जून माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।

(ख) द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा निम्न विषयों में होगी:-

- i. तारीखे तिब (चिकित्सा का इतिहास);
- ii. तहफफूजी वा सामाजी तिब (प्रीवेन्टिव एण्ड कम्युनिटी मेडीसिन);
- iii. इल्मुल अदवियाय ;
- iv. माहियातुल अमराजय ;

(ग) दो विषयों से अनाधिक में अनुत्तीर्ण छात्र तृतीय व्यावसायिक सत्र हेतु निबन्धन के लिए पात्र होगा, तथापि जब तक वह द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो जाता है, तब तक उसे तृतीय व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(3) तृतीय व्यावसायिक सत्र:—(क) तृतीय व्यावसायिक सत्र द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रारम्भ होगा। तृतीय व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया तृतीय व्यावसायिक सत्र के एक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष मई/जून माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।

(ख) तृतीय व्यावसायिक परीक्षा निम्न विषयों में होगी:—

- i. सम्प्रेषण कौशल; ;
- ii. इल्मुल सैदला वा मुरक्काबात ;
- iii. तिब्बे कानूनी वा इल्मुल समूम (जूरिस प्रूडेन्स एण्ड टोक्सीकोलॉजी ;
- iv. सरिरियत वा उसूले इलाज (क्लीनेकल मेथड्स) ;
- v. इलाज बित तदबीर (रेजीमेनल थैरेपी) ;
- vi. अमराजे अतफाल (पीडिएट्रिक्स) ;

(ग) दो विषयों से अनाधिक में अनुत्तीर्ण छात्र अंतिम व्यावसायिक सत्र हेतु निबन्धन रखने का पात्र होगा, तथापि जब तक वह तृतीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो जाता है, तब तक उसे अंतिम व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4. अंतिम व्यावसायिक सत्र:—(क) अंतिम व्यावसायिक सत्र एक वर्ष तथा छः माह की अवधि का होगा तथा तृतीय व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रारम्भ होगा। अंतिम व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया अंतिम व्यावसायिक सत्र के एक वर्ष तथा छः माह के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।

(ख) अंतिम व्यावसायिक परीक्षा निम्न विषयों में होगी:—

- i. मोआलाजात (मेडीसिन);
- ii. अमराजे निस्वान (गाइनेकोलॉजी);
- iii. इल्मुल कबाला वा नोमौलूद (ऑब्स्टेट्रिक्स एण्ड न्योनाटोलॉजी);
- iv. इल्मुल जराहत (सर्जरी);
- v. एन, उज्ज, अन्फ, हलक वा अस्नान (नेत्र, कान, कंठ तथा दंत चिकित्सा);

(ग) अंतिम व्यावसायिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र परवर्ती पूरक परीक्षा में उपस्थित होने हेतु पात्र होगा।

8. अनिवार्य आवर्ती विशिखानुप्रवेश :—(1) अनिवार्य आवर्ती विशिखानुप्रवेश की अवधि एक वर्ष की होगी तथा प्रथम से अंतिम व्यावसायिक परीक्षा तक के समस्त विषय उत्तीर्ण करने के पश्चात् छात्र अनिवार्य विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम में भाग लेने हेतु पात्र होगा, तथा विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम अंतिम व्यावसायिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा के पश्चात् प्रारम्भ होगा।

(2) विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम तथा समय का विभाजन निम्नवत् होगा :

(क) प्रशिक्षुओं को एक अभिविन्यास कार्यशाला जिसे विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम के प्रारम्भ के प्रथम तीन दिवसों के दौरान आयोजित किया जायेगा, में नियमों एवं विनियमों सहित विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम के ब्यारे से सम्बन्धित एक अभिविन्यास दिया जायेगा। प्रत्येक प्रशिक्षु को एक कार्य-पुस्तिका दी जायेगी जिसमें प्रशिक्षु अपने प्रशिक्षण के दौरान उन गतिविधियों के तिथिवार ब्यारे की प्रविष्टि करेगा जिनका उत्तरदायित्व वह लेगा।

(ख) प्रत्येक प्रशिक्षु विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पूर्व सम्बन्धित राज्य बोर्ड/परिषद् में अपना नाम अस्थाई रूप से पंजीकृत कराएगा तथा इस संबंध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा।

(ग) प्रशिक्षु का दैनिक कार्य-समय 8 घंटे से कम का नहीं होगा।

- (घ) कोई भी प्रशिक्षु अस्पताल के विभागाध्यक्ष अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना उसकी अस्पताल की ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं रहेगा;
- (ङ.) विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अभ्यर्थियों को विशिखानुप्रवेश प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा;
- (च) सामान्यतः एक वर्षीय विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम महाविद्यालय से संलग्न यूनानी अस्पताल में छः माह के नैदानिक (क्लीनिकल) प्रशिक्षण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ग्रामीण अस्पताल/जिला अस्पताल/सिविल अस्पताल अथवा आधुनिक चिकित्सा के किसी सरकारी अस्पताल में छः माह के नैदानिक (क्लीनिकल) प्रशिक्षण में विभक्त किया जायेगा।
- (छ) जहां आधुनिक चिकित्सा के अस्पताल अथवा औषधालय का कोई प्रावधान या सुविधा नहीं है वहां यूनानी के अस्पताल में एक वर्ष का विशिखानुप्रवेश पूर्ण किया जायेगा।

- (3) महाविद्यालय से संलग्न यूनानी अस्पताल में यथास्थिति छः/बारह माह का नैदानिक (क्लीनिकल) प्रशिक्षण निम्नवत् संचालित किया जायेगा:-

क्रम संख्या	विभाग	छः माह का विभाजन	बारह माह का विभाजन
i.	मोआलाजात इलाज बित तदबीर को सम्मिलित करते हुए	दो माह	चार माह
ii.	जराहत	एक माह	दो माह
iii.	अमराज-ए-एन, उज़्ज, अनफ-हलक वा अस्नान	एक माह	दो माह
iv.	इल्मुल कबालत-वा-अमराज-ए-निस्वान	एक माह	दो माह
v.	अमराजे अत्फाल	15 दिन	एक माह
vi.	तहफफूजी-वा-समाजी तिब्ब (प्रीवैन्टिव एण्ड कम्युनिटी मेडीसिन)	15 दिन	एक माह

- (4) प्रशिक्षुओं को छः माह का प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से प्रशिक्षुओं को अवगत एवं परिचित कराने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जायेगा तथा प्रशिक्षुओं को ऐसे प्रशिक्षण लेने हेतु निम्नलिखित में से किसी एक संस्थान में सम्मिलित होना होगा-

- (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र;
 (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला अस्पताल;
 (ग) आधुनिक चिकित्सा का कोई मान्यता प्राप्त अथवा अनुमोदित अस्पताल;
 (घ) कोई मान्यता प्राप्त अथवा अनुमोदित यूनानी अस्पताल अथवा औषधालय;

बशर्ते उपर्युक्त खण्ड (क) से (घ) में उल्लिखित सभी संस्थाओं को ऐसे प्रशिक्षण देने हेतु सम्बन्धित सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त होना होगा।

- (5) विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम हेतु विस्तृत दिशा निर्देश: प्रशिक्षु को नीचे दर्शाये गये सम्बन्धित विभागों में निम्नलिखित गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना होगा:-

- (क) मोआलाजात - इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि दो माह अथवा चार माह होगी जिसमें निम्नलिखित गतिविधियां होंगी:-

- (i) यूनानी चिकित्सा द्वारा सभी नैत्यक कार्य जैसे रुग्ण इतिवृत्त लेना, जांच, रोग निदान तथा सामान्य रोगों का प्रबन्ध।
 (ii) यूनानी पद्धति द्वारा नब्ज, बौल-ओ-बराज परीक्षण, नैत्यक चिकित्सीय नैदानिक विकृति परीक्षण कार्य जैसे हीमोग्लोबिन का आंकलन, हीमोग्राम, मूत्र विश्लेषण, रक्त परजीवियों का सूक्ष्मदर्शीय परीक्षण, प्लीवन परीक्षण एवं मल परीक्षण, प्रयोगशाला के जांच परिणाम का प्रतिपादन तथा चिकित्सीय जांच तथा निदान करना।
 (iii) नैत्यक वार्ड प्रक्रिया में प्रशिक्षण तथा रोगी के आहार तथा आदतों की देख-रेख करना तथा औषधि कार्यक्रम का सत्यापन करना।

- (iv) इलाज बित तदबीर: विभिन्न रेजीमेनल चिकित्सा की प्रक्रियाएं तथा तकनीकें

2304 GJ/13-2

(ख) जराहत— इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह अथवा दो माह होगी तथा प्रशिक्षु को निम्नलिखित गतिविधियों से परिचित एवं अवगत कराने हेतु प्रयोगात्मक रूप से प्रशिक्षित किया जायेगा:—

- (i) यूनानी सिद्धान्तों के अनुसार सामान्य शल्य विकार का निदान तथा प्रबन्धन।
- (ii) अवश्यभावी शल्य आपातकाल जैसे अस्थिभंग तथा सन्धि-च्युति, उदरीय आपात स्थिति का प्रबन्धन।
- (iii) सेप्टिक, एन्टीसेप्टिक तकनीक तथा जीवाणुनाशन इत्यादि का प्रयोगात्मक परीक्षण।
- (iv) प्रशिक्षु को पूर्व शल्यक्रिया कर्म तथा पश्चात् शल्यक्रिया कर्म प्रबन्धनों में आवेष्टित किया जाना चाहिये।
- (v) संवेदनाहारी तकनीक का व्यवहारिक प्रयोग तथा संवेदनाहारी औषध का प्रयोग।
- (vi) विकिरण चिकित्सा विज्ञान प्रक्रिया, एक्स-रे, इन्द्रा वीनस पाइलोग्राम, बेरियम मील, सोनोग्राफी तथा इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम का नैदानिक प्रतिपादन।
- (vii) शल्य प्रक्रिया तथा नैत्यक वार्ड तकनीक जैसे:—
 - (क) ताज़ा कटे/घाव को टांका लगाना;
 - (ख) घाव, जले, फोड़े की मरहम-पट्टी;
 - (ग) फोड़े का चीरा;
 - (घ) रसौली का उच्छेदन;
 - (ङ) शिरा शल्यक्रिया;

(ग) अमराजे एन, उज्ज, अन्फ—हलक वा अस्नान— इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह अथवा दो माह होगी तथा प्रशिक्षु को निम्नलिखित गतिविधियों से परिचित कराने हेतु प्रयोगात्मक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा:—

- i. यूनानी सिद्धान्तों के अनुसार सामान्य शल्य विकार का निदान तथा प्रबन्धन।
- ii. प्रशिक्षु को पूर्व शल्यक्रिया कर्म तथा पश्चात् शल्यक्रिया कर्म प्रबन्धनों में आवेष्टित किया जाना चाहिए;
- iii. कान, नाक, कंठ, दन्त, नेत्र संबंधी समस्याओं हेतु शल्य प्रक्रिया;
- iv. नेत्र, कान, नाक, कंठ दोष, दृष्टि दोष आदि की जांच, नेत्र संबंधी रोगों के निदान हेतु नेत्र संबंधी उपकरण का प्रयोग, बधिरता हेतु विभिन्न जांचें;
- v. उज्ज, अन्फ, हलक में लघु शल्य प्रक्रिया जैसे सिरिज से साफ करना तथा ऐन्ट्रम वाश, एपिस्टेक्सिस में नाक का संवेष्टन (पैकिंग), बाह्य-रोगी विभाग स्तर पर उज्ज, अन्फ तथा हलक से विजातीय शरीरों को हटाना;

(घ) इल्मुल-कबालत वा-अमराजे निस्वान-इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह अथवा दो माह होगी तथा प्रशिक्षु को निम्नलिखित गतिविधियों से परिचित कराने हेतु प्रयोगात्मक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा:—

- i. प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर समस्याएं तथा उनका उपचार;
- ii. प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर देखभाल;
- iii. सामान्य तथा असामान्य प्रसव का प्रबन्धन;
- iv. लघु तथा दीर्घ प्रासविक शल्य प्रक्रियाएं;

(ङ) अमराजे अत्फाल— इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि पन्द्रह दिन अथवा एक माह होगी तथा प्रशिक्षु को निम्नलिखित गतिविधियों से परिचित कराने हेतु प्रयोगात्मक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा :—

- i. प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर समस्याएं तथा उनका उपचार, यूनानी के सिद्धान्तों तथा चिकित्सा द्वारा भी प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर देखभाल;
- ii. प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर आपातकाल;
- iii. प्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित नवजात शिशु की देखभाल
- iv. यूनानी चिकित्सा पद्धति में महत्वपूर्ण कौमार भृत्य समस्याएं तथा उनका प्रबन्धन।

(च) तहफफूजी-वा-समाजी तिब्ब-इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि पन्द्रह दिन अथवा एक माह होगी तथा प्रशिक्षु को पोषण संबंधी रोगों सहित स्थानीय रूप से प्रचलित स्थानिक रोगों से बचाव तथा नियन्त्रण कार्यक्रमों, प्रतिरक्षण, संक्रमण रोगों का प्रबन्धन, परिवार कल्याण योजना कार्यक्रमों से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

- (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा ग्रामीण अस्पताल अथवा जिला अस्पताल अथवा सिविल अस्पताल अथवा आधुनिक चिकित्सा के किसी सरकारी अस्पताल में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला अस्पताल अथवा आधुनिक चिकित्सा के किसी मान्यताप्राप्त अथवा अनुमोदित अस्पताल अथवा यूनानी अस्पताल अथवा औषधालय में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण की छः माह की अवधि के दौरान, प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित होना चाहिए:-
- (i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की नित्यचर्या तथा उनके अभिलेख का अनुरक्षण।
 - (ii) प्रशिक्षुओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा/गैर चिकित्सा स्टाँफ की नित्यचर्या से परिचित होना चाहियें तथा इस अवधि में उन्हें स्टाँफ के साथ सदैव सम्पर्क में रहना चाहिये।
 - (iii) उन्हें पंजिका उदाहरण स्वरूप दैनिक रोगी पंजिका, परिवार नियोजन पंजिका, शल्य पंजिका के अनुरक्षण के कार्य से परिचित होना चाहिए तथा विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं/कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये; तथा
 - (iv) उन्हें राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये।
- (7) ग्रामीण यूनानी औषधालय अथवा अस्पताल में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण: ग्रामीण यूनानी औषधालय अथवा अस्पताल में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण के छः माह की अवधि के दौरान प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित होना चाहिये:-
- (i) ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक प्रचलित रोग तथा उनका प्रबन्धन तथा
 - (ii) ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य अनुरक्षण विधि का शिक्षण तथा विभिन्न प्रतिरक्षण कार्यक्रम में भी शामिल होना।
- (8) आधुनिक चिकित्सा के किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल के हताहत अनुभाग में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण :-
आधुनिक चिकित्सा के किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल के हताहत अनुभाग में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण के छः माह के दौरान प्रशिक्षु को :-
- i. हताहत तथा अभिघात मामलों की पहचान तथा उनके प्राथमिक उपचार से परिचित कराया जायेगा; तथा
 - ii. ऐसे मामलों को सम्बन्धित अस्पतालों के पास भेजने की प्रक्रिया से परिचित कराया जायेगा।

9. मूल्यांकन

विभिन्न विभागों में उन्हें आबंटित किये गये कार्य को पूरा करने के पश्चात् उन्हें संबंधित विभाग में उनके द्वारा किये गये सेवानिष्ठ कार्य के संबंध में विभागाध्यक्ष द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा अन्ततः उसे संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रधान के समक्ष प्रस्तुत करना है जिससे कि सफलतापूर्वक किये गये विशिखानुप्रवेश का समापन स्वीकृत किया जा सके।

10. विशिखानुप्रवेश का स्थानान्तरण :

- (1) दो भिन्न विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों के बीच स्थानान्तरण के मामले में विशिखानुप्रवेश का स्थानान्तरण महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय दोनों की सहमति मात्र से ही होगा।
- (2) समान विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के बीच स्थानान्तरण के मामले में मात्र दोनों महाविद्यालयों की सहमति की आवश्यकता होगी।
- (3) यथास्थिति संस्थान अथवा महाविद्यालय द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र तथा महाविद्यालय व विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ अग्रेषित किये गये आवेदन के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानान्तरण विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

11. परीक्षा : (1) सिद्धान्त परीक्षा में अधिकतम 40% तक के अंकों के न्यूनतम 20% लघुत्तरीय प्रश्न तथा अधिकतम 60% तक के अंकों के न्यूनतम 4 व्याख्यात्मक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों में विषय का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित होगा।
- (2) विषय में 75% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उस विषय में विशेष योग्यता प्रदान की जायेगी।
 - (3) परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक विषय में सिद्धान्त एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में पृथक-पृथक न्यूनतम 50% अंक आवश्यक होंगे तथा उन विषयों में जिसमें दो प्रश्न-पत्र तथा एक सामान्य प्रयोगात्मक परीक्षा सम्मिलित हो, वहां सिद्धान्त के प्रश्न-पत्रों को उत्तीर्ण करने के मापदंड का निर्णय दोनों प्रश्न-पत्रों के कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त करने के आधार पर लिया जायेगा।
 - (4) यदि कोई अभ्यर्थी सिद्धान्त अथवा प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे सिद्धान्त तथा प्रयोगात्मक परीक्षा की पूरक परीक्षा में भी उपस्थित होना होगा।
 - (5) पूरक परीक्षा नियमित परीक्षा के 6 माह के भीतर होगी तथा अनुत्तीर्ण छात्र यथास्थिति इसकी पूरक परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होंगे।
 - (6) प्रत्येक छात्र को प्रत्येक पाठ्यक्रम के दौरान प्रत्येक विषय में दिये गये तीन-चौथाई व्याख्यानों, प्रयोगों अथवा प्रदर्शन अथवा नैदानिक में भाग लेना अपेक्षित होगा तथा प्रत्येक छात्र को वर्ष के दौरान महाविद्यालय की शैक्षिक भ्रमण अथवा दौरो में भाग लेना आवश्यक होगा। परन्तु अधिष्ठाता अथवा प्राचार्य प्रत्येक मामले की व्यक्तिक योग्यता पर जितना आवश्यक समझे किसी को इनमें भाग लेने से छूट दे सकता है।

(7) यदि कोई छात्र किसी संज्ञानात्मक-कारण के कारण नियमित परीक्षा में बैठने में असफल हो जाता है, तो वह पूरक परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में बैठेगा। नियमित परीक्षा में उसकी अनुपस्थिति एक प्रयत्न के रूप में नहीं समझी जायेगी। ऐसे छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् नियमित छात्रों के साथ अध्ययन में भाग लेंगे तथा अध्ययन की आवश्यक अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् अगली व्यावसायिक परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे।

12. स्थानान्तरण:—1. छात्र को किसी अन्य महाविद्यालय से अपना अध्ययन जारी रखने हेतु प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् स्थानान्तरण लेने की अनुमति दी जायेगी। अनुत्तीर्ण छात्रों को स्थानान्तरण तथा मध्यावधि स्थानान्तरण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. स्थानान्तरण हेतु, छात्र को दोनों महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की आपसी सहमति प्राप्त करनी होगी तथा स्थानान्तरण रिक्त सीट की सुनिश्चिता व केन्द्रीय परिषद् से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् होगा।

13. प्रश्न पत्रों की संख्या तथा सिद्धान्त/क्रियात्मक के लिये अंक

विषय का नाम	शिक्षण के घण्टों की संख्या			अधिकतम अंकों का विवरण			
	सिद्धान्त	क्रियात्मक	कुल	प्रश्न पत्रों की संख्या	सिद्धान्त	क्रियात्मक	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
प्राग तिब							
1. तबियत (भौतिक विज्ञान)	180	90	270	एक	100	100	200
2. कीमिया (रसायन विज्ञान)	180	90	270	एक	100	100	200
3. नबातियत (वनस्पति विज्ञान)	180	90	270	एक	100	100	200
4. हैवानियत (जन्तु विज्ञान)	180	90	270	एक	100	100	200
5. अंग्रेजी	180	—	180	एक	100	—	100
टिप्पणी: निकट के किसी विज्ञान महाविद्यालय में प्राग तिब पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है।							
प्रथम व्यावसायिक							
1. अरबी तथा मन्तिक वा फलसिफा	100	—	100	एक	100	—	100
2. कुल्लियात उमूरे तिबिया (यूनानी चिकित्सा के मूलभूत सिद्धान्त)	100	—	100	एक	100	100	200
3. तशरीहुल बदन (ऐनाटमी)* प्रश्नपत्र (i)—तशरीह-I प्रश्नपत्र (ii)— तशरीह-II	225	200	425	दो	100 100	100	300
4. मुनाफिउल आजा (शरीर विज्ञान) प्रश्नपत्र (i)— मुनाफिअल आजा उमूमी वा हयाती कीमिया (सामान्य शरीर विज्ञान तथा जैव-रसायन विज्ञान) प्रश्नपत्र (ii)- मुनाफिउल आजा निजामी (शरीर विज्ञान)	225	200	425	दो	100 100	100	300
टिप्पणी: * तशरीहुल बदन प्रश्न पत्र-I: भ्रूण विज्ञान तथा आनुवांशिकी के मूलभूत ज्ञान जैसे गुणसूत्र, वंशानुक्रम की पद्धति, कोशिकाभवन तथा महत्वपूर्ण रोगों की आनुवांशिकी सहित संयोजक ऊतक, पेशी, स्नायु, ऊपरी तथा निचले अवयव तथा सिर तथा कंठ के अंगों का सामान्य वर्णन। **तशरीहुल बदन प्रश्नपत्र-II : वक्ष, उदर तथा श्रोणि तथा विभिन्न अंगों की अनुप्रयुक्त तथा मन्द शारीरिक अनियमितताओं का सामान्य वर्णन।							
द्वितीय व्यावसायिक							
1. तारीखे तिब (चिकित्सा का इतिहास)	100	—	100	एक	100	—	100
2. तहफफुजी वा समाजी तिब (रोधात्मक एवं सामुदायिक चिकित्सा)	150	100	250	एक	100	100	200
3. इल्मुल अदविया प्रश्नपत्र (i)— कुल्लियाते अदविया प्रश्नपत्र (ii)—अदविया मुफरादह	200	100	300	दो	100 100	100	300

4. माहियातुल अमराज प्रश्नपत्र (i)- माहियातुल अमराज उमूमी वा इल्मुल जरासीम प्रश्नपत्र (ii)-माहियातुल अमराज निजामिया	200	200	400	दो	100	100	300
टिप्पणी: * इल्मुल अदविया- I (अदविया मुफरादह), तहफ्फुजी वा समाजी तिब तथा महियातुल अमराज के क्रियात्मक अथवा प्रदर्शन हेतु छात्रों को तीन समूहों में विभक्त किया जायेगा। अदविया मुफरादह के प्रदर्शन हेतु छात्रों को अदविया संग्रहालय तथा वनस्पति उद्यान में नियमित रूप से नियुक्त किया जायेगा।							
तृतीय व्यावसायिक							
1. सम्प्रेषण कौशल	100	-	100	एक	100		100
2. इल्मुल सैदला वा मुरक्काबात प्रश्न पत्र (i)-इल्मुल सैदला प्रश्न पत्र (ii)-अदविया मुरक्काबात	140	100	240	दो	100	100	300
3. तिब्बे कानूनी वा इल्मुल सामूम	100	50	150	एक	100	100	200
4. सारीरियत वा उसूले इलाज	80	140	220	एक	100	100	200
5. इलाज बित तदबीर	80	140	220	एक	100	100	200
6. अमराजे अत्फाल	80	50	130	एक	100	100	200
टिप्पणी: इल्मुल अदविया II (इल्मुल सैदला वा मुरक्काबात) तथा तिब्बे कानूनी वा इल्मुल सामूम के प्रयोगात्मक परीक्षण हेतु छात्रों को दो समूहों में विभक्त किया जाएगा। दोनों विषयों में क्रियात्मक प्रति सप्ताह चार दिन होगा। इलाज बित तदबार, सारीरियत तथा अमराजे अत्फाल के नैदानिक प्रशिक्षण हेतु छात्रों को अस्पताल में विभिन्न समूहों में नियुक्त किया जाएगा।							
अंतिम व्यावसायिक							
1. मोआलाजात-I प्रश्न पत्र (i)- अमराज-ए-निजाम-ए-दिमाग वा आसाव तथा बाह प्रश्न पत्र (ii)-अमराज-ए-तानाफ्फुस दीरान-ए-खून, तौलीद-ए-दम, तिहाल	150	नैदानिक ड्यूटी (समूहों में) अस्पताल के विभिन्न अनुभाग में 3-4 घण्टे प्रतिदिन	-	दो	100	100	300
2- मोआलाजात- II प्रश्न पत्र (i)-अमराज-ए-हज्म, बौल ओ तानासुल प्रश्न पत्र (ii)- अमराज-ए- मुताददीयाह, हुम्मियत, जिल्द-ओ-तजीनियत, अमराज-ए-मफासिल,	150		-	दो	100	100	300
3. अमराजे निस्वान	100		-	एक	100	100	200
4. इल्मुल कबालत वा नौमौलूद	100		-	एक	100	100	200
5. इल्मुल जराहात प्रश्न पत्र (i)-जराहत उमूमी प्रश्न पत्र (ii)- जराहत निजामी	150		-	दो	100	100	300
6. ऐन, उज्ज, अन्फ, हलक वा अस्नान	150		-	एक	100	100	200

2304 GI/13-3

14. स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण स्टॉफ हेतु अर्हताएं एवं अनुभव:

- (i) **अनिवार्य**— विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा भारतीय चिकित्सा के सांविधिक मण्डल या परीक्षा निकाय से यूनानी चिकित्सा में उपाधि या उसके समकक्ष जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की द्वितीय अनुसूची में समाविष्ट हो;
- (ख) व्याख्याताओं की नई भर्ती हेतु किसी मान्यताप्राप्त संस्था अथवा विश्वविद्यालय से यूनानी में सम्बन्धित विषय में अधिमान्त स्नातकोत्तर उपाधि, तथा यह शैक्षिक सत्र 2014-15 से लागू होगा;
- (ग) प्राध्यापक तथा सह-आचार्य (प्रवाचक) के पद हेतु एक मान्यताप्राप्त संस्था में सम्बन्धित विभाग के सम्बन्धित विषय में अथवा समवर्गी विषय में कमशः दस वर्ष तथा पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव; तथा
- (घ) सहायक आचार्य (व्याख्याता) के पद हेतु पैंतालिस वर्ष से अधिक आयु न हों, शिक्षण का कोई अनुभव अपेक्षित नहीं है।

(ii) **वांछनीय:** विषय पर मूल प्रकाशित पत्र अथवा पुस्तकें।

टिप्पणी 1: निजी संस्था के मामले में, शिक्षण अनुभव सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित कराना आवश्यक होगा।

टिप्पणी 2: इस अधिसूचना से पहले मान्यताप्राप्त यूनानी महाविद्यालयों में नियुक्त तथा कार्यरत शिक्षक बिना स्नातकोत्तर अर्हता के सम्बन्धित विषय में प्राध्यापक, सह-आचार्य (प्रवाचक) तथा सहायक-आचार्य (व्याख्याता) के पद हेतु नियुक्ति अथवा पदोन्नति के लिये पात्र होंगे।

टिप्पणी 3: यूनानी के अपेक्षित विशेष विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक शिक्षकों की अनुपस्थिति के मामले में समवर्गी विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि धारकों पर विचार किया जाएगा।

टिप्पणी 4: समवर्गी विषयों हेतु प्रावधान: यह प्रावधान कार्यालयी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पांच वर्ष हेतु जारी रहेगा, तथा समवर्गी विषयों का विवरण निम्नवत् होगा:

क्रम संख्या	विषय	समवर्गी विषय
1.	तशरीहुल बदन	इल्मुल जराहत अथवा कूल्लियात तिब
2.	मुनाफिउल आज़ा	कूल्लियात तिब
3.	सैदला	इल्मुल अदविया
4.	तिब्बे कानूनी वा इल्मुल समूम	तहफफुज़ी वा समाजी तिब अथवा मोआलाजात अथवा इल्मुल अदविया
5.	सरीरियात	मोआलाजात
6.	माहियातुल अमराज	मोआलाजात अथवा कूल्लियात तिब
7.	दलाज बित तदाबीर	मोआलाजात अथवा तहफफुज़ी वा समाजी तिब
8.	अमराजे जिल्द	मोआलाजात
9.	अमराजे रुज़्ज, अन्फ हलक वा अस्नान	इल्मुल जराहत अथवा मोआलाजात
10.	अमराजे ऐन	इल्मुल जराहत अथवा मोआलाजात
11.	इल्मुल अत्फाल	मोआलाजात अथवा कबालत वा अमराजे निस्वान

15. प्राग-तिब पाठ्यक्रम हेतु शिक्षकों की अर्हता:

- (क) मूलभूत विज्ञान के विषयों हेतु—सम्बन्धित विषय में मास्टर ऑफ साइन्स (एम.एस.सी.) प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी
- (ख) अरबी तथा फारसी विषय हेतु—अरबी अथवा फारसी में फ़ाज़िल अथवा समकक्ष परीक्षा

टिप्पणी: विज्ञान तथा भाषा के विषयों हेतु, मात्र व्याख्याता पद का प्रावधान होगा।

16. संस्था के प्रमुख (प्राधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता अथवा निदेशक) के पद के लिए अर्हता:

(1) **अनिवार्य:** संस्था के प्रमुख (प्राधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता अथवा निदेशक) के इन पदों के लिए प्राध्यापक पद के लिए निर्धारित अर्हता एवं अनुभव अनिवार्य होगा।

- (2) **वांछनीय**
- (i) यूनानी तिब में स्नातकोत्तर अर्हता;
- (ii) कम से कम पांच वर्षों का प्रशासनिक अनुभव;
- (iii) यूनानी तिब के किसी विषय में मूल प्रकाशित कार्य; तथा

- (iv) अरबी या फ़ारसी तथा अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान
17. यूनानी में परीक्षक की नियुक्ति : सम्बन्धित विषय में न्यूनतम तीन वर्ष के शिक्षण अनुभव वाले नियमित/सेवानिवृत्त अध्यापक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को परीक्षक हेतु पात्र नहीं समझा जाएगा।

शमशाद बानो, निबन्धक-सह-सचिव
[विज्ञापन III/4/असाधारण/124-ओ/13]

- * अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम, 2013 को अन्तिम माना जायेगा।

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2013

No. 11-76/2011-UG Regl.—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of Section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2013.
- (2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986, for Schedule III, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE III (See regulation 7)

MINIMUM STANDARDS FOR KAMIL-E-TIB-WA-JARAHAT COURSE

1. **Aims and Objects of Unani Education:** To produce competent Unani graduates of profound scholarship, having deep basis of Unani with modern scientific knowledge, in accordance with Unani fundamentals with extensive practical training so as to become Unani Physician and Surgeon and research worker fully competent to serve in the medical and health services of the country.
2. **Eligibility for admission: (A) Admission to Kamil-E-Tib-Wa-Jarahat course:** A candidate seeking admission to main Kamil-E-Tib-Wa-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery-B.U.M.S.) Course must have passed,—
 - (a) intermediate (10+2) or its equivalent examination with fifty per cent. aggregate marks in the subjects of Physics, Chemistry and Biology and the candidate should have passed 10th standard with Urdu or Arabic or Persian language as a subject, or clear the test of Urdu in the entrance examination conducted by the University or Board or registered Society authorised by the Government to conduct such examination; or
 - (b) the Pre-Tib examination of one year duration.
- (B) Admission to Pre-Tib course-** A candidate seeking admission to one year Pre-Tib course must have passed,—
 - (a) the Oriental qualification equivalent to Intermediate Examination (10+2) as specified in the Table below; or

TABLE

List of oriental qualifications in Arabic or Persian equivalent to Higher Secondary or Intermediate or 12th Standard for the purpose of admission to Pre-Tib course of the Unani degree course

Sl. No.	Name of Institution	Qualification
1.	Lucknow University	Fazil-e-Adab or Fazil-e-Tafseer
2.	Darul Uloom Nadvatul-Ulma, Lucknow	Fazil
3.	Darul-Uloom, Deoband, Distt. Saharanpur	Fazil
4.	Al-Jameat-ul Salfiah, Markazi Darul-Uloom, Varanasi	Fazil
5.	Board of Arabic and Persian Examination, Uttar Pradesh, Allahbad or Uttar Pradesh Madarsa Shiksha Parishad, Lucknow	Fazil
6.	Madarsa Faize Aam, Mau Nath Bhanjan, Azamgarh (Uttar Pradesh)	Fazil
7.	Darul Hadees, Mau Nath Bhanjan, Azamgarh (Uttar Pradesh)	Fazil
8.	Jameat-ul-Falah, Bilaria Ganj, Azamgarh (Uttar Pradesh)	Fazil
9.	Darul Uloom Ashrafia Misbahul Uloom, Mubarakpur, Azamgarh (Uttar Pradesh)	Fazil

10.	Jamia Sirajul Uloom, Bondhiyar, Gonda (Uttar Pradesh)	Fazil
11.	Jamia Farooquia, Sabrabad, via Shahganj, Distt. Jaunpur (Uttar Pradesh)	Fazil
12.	Madras University, Chennai	Adeeb-e-Fazil
13.	Darul Uloom Arabic College, Meerut City (Uttar Pradesh)	Fazil
14.	Madarsa Mazahir Uloom, Saharanpur (Uttar Pradesh)	Fazil
15.	Government Madrasa-e- Alia, Rampur	Fazil
16.	Al-Jamiatul Islamiya, Noor Bagh, Thane, Mumbai	Fazil
17.	Al-Jamiat-ul Mohammediya, Mansoor, Malegaon	Fazil
18.	Al-Jamiatul Islamia Is-hat-ul Uloom, Akkalkuan, Distt. Dhulia	Fazil
19.	Bihar Rajya Madarsa Shiksha Board, Patna	Fazil
20.	Jamia-tus-Salehat, Rampur (Uttar Pradesh)	Fazil
21.	Madarsa-tul-Islah, Saraimir, Azamgarh (Uttar Pradesh)	Fazil
22.	Jamia Darus Salam, Malerkotla (Punjab)	Fazil
23.	Khairul Uloom, Al-Jamiatul Islamia, Domaria Ganj, Distt. Siddharth Nagar (Uttar Pradesh)	Fazil
24.	Madarsa Darul Huda, Yusufpur, via Naugarh, Distt. Siddharth Nagar (Uttar Pradesh)	Fazil
25.	Jamia Islamia Almahad Okhla, New Delhi or Jamia Islamia Sanabil, Abul Fazal Enclave - II, New Delhi	Fazil
26.	Darul Uloom Arabiyyah Islamia, post Kantharia, Bharuch (Gujarat)	Fazil
27.	Darul Uloom Rashidia, Nagpur	Fazil

(b) the Oriental qualification equivalent to Intermediate Examination (10+2) recognised by State Government or State Education Board concerned.

- 3. Admission through lateral entry:** Ten seats per year out of the total number of intake capacity permitted for Kamil-E-Tib-Wa-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery-B.U.M.S.) will be reserved for admission to main course through lateral entry (Pre-Tib course).
- 4. Duration of course:** (a) Pre-Tib Course: The duration of course shall be one year; and
(b) Degree (Bachelor of Unani Medicine and Surgery-B.U.M.S.) Course: The duration of course shall be five years and six months comprising :
- First Professional session - Twelve months
 - Second Professional session - Twelve months
 - Third Professional session - Twelve months
 - Final Professional session - Eighteen months.
 - Compulsory Rotatory Internship - Twelve months
- 5. Degree to be awarded:** The candidate shall be awarded Kamil-E-Tib-Wa-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery-B.U.M.S.) degree after passing all the examinations and completion of prescribed course of study extending over the prescribed period, and thereafter satisfactorily completing the compulsory rotatory internship extending over twelve months.
- 6. Medium of instruction:** The medium of instruction for the course shall be Urdu or Hindi or any recognised regional language or English.
- 7. Scheme of examination: (1) First professional session—**(a) The first professional session will ordinarily start in July and the first professional examination shall be at the end of one academic year of first professional session.
(b) the first professional examination shall be held in the following subjects:—
(i) Arabic and Mantiq wa Falsifa;
(ii) Kulliyat Umoore Tabiya (Basic Principles of Unani Medicine);
(iii) Tashreehul Badan (Anatomy);
(iv) Munafeul Aaza (Physiology).
(c) a student failed in not more than two subjects shall be held eligible to keep the terms for the second professional session, however he shall not be allowed to appear for second professional examination unless he passes in all the subjects of the first professional examination.
- (2) Second professional session—**(a) The second professional session shall start every year in the month of July following completion of first professional examination and the second professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of month of May or June every year after completion of one year of second professional session;

- (b) the second professional examination shall be held in the following subjects:-
- Tareekhe Tib (History of Medicine);
 - Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Community Medicine);
 - Ilmul Advia;
 - Mahiyatul Amraz.
- (c) a student failed in not more than two subjects shall be held eligible to keep the terms for the third professional session, however he shall not be allowed to appear for third professional examination unless he passes in all the subjects of second professional examination.
- (3) Third professional session-** (a) The third professional session shall start every year in the month of July following completion of second professional examination and the third professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of the month of May or June every year after completion of one year of third professional session;
- (b) the third professional examination shall be held in the following subjects:-
- Communication Skills;
 - Ilmul Saidla wa Murakkabat;
 - Tibbe Qanooni wa Ilmul Samoom (Juris prudence and Toxicology);
 - Sareeriyat wa Usoole Ilaj (Clinical Methods);
 - Ilaj bit Tadbeer (Regimenal Therapy);
 - Amraze Atfal (Paediatrics).
- (c) a Student failed in not more than two subjects shall be held eligible to keep the terms for the final professional examination, however he shall not be allowed to appear for final professional examination unless he passes in all the subjects of third professional examination.
- (4) Final professional session-** (a) The final professional session will be of one year and six months duration and shall start every year in the month of July following completion of third professional examination and the final professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of the month of December every year after completion of one year and six months of final professional session;
- (b) the final professional examination shall be held in the following subjects:-
- Moalajat (Medicine);
 - Amraze Niswan (Gynaecology);
 - Ilmul Qabala wa Naumaulood (Obstetrics and Neonatology);
 - Ilmul Jarahat (Surgery);
 - Ain, Uzn, Anf, Halaq wa Asnan (Eye, Ear, Nose, Throat and dentistry).
- (c) failed students of final professional examination will be eligible for appearing in subsequent supplementary examination.
- 8. Compulsory Rotatory Internship:** (1) Duration of Compulsory Rotatory Internship shall be one year and the student shall be eligible to Join the compulsory internship programme after passing all the subjects from first to the final professional examinations, and the internship programme shall start after the declaration of the result of final professional examination.
- (2) Internship Programme and time distribution shall be as follows:-
- The interns will receive an orientation programme regarding details of internship programme alongwith the rules and regulations, in an orientation workshop, which will be organised during the first three days of the beginning of internship programme and a workbook will be given to each intern, in which the intern will enter date wise details of activities undertaken by him during his training;
 - every intern will provisionally register himself with the concerned State Board or Council and obtain a certificate to this effect before Joining the internship program;
 - daily working hours of intern will be not less than eight hours;
 - no Internee shall remain absent from his hospital duties without prior permission from Head of Department or Chief Medical Officer or Medical Superintendent of the Hospital;
 - on satisfactory completion of internship programme, the Principal of the concerned college shall issue the internship certificate to the candidate;
 - normally one year internship programme shall be divided into clinical training of six months in the Unani hospital attached to the college and six months in Primary Health Centre or Community Health Centre or rural hospital or district hospital or civil hospital or any Government hospital of modern medicine;
 - where there is no provision or facility of the hospital or dispensary of modern medicine, the one year Internship will be completed in the hospital of Unani college.
- (3) Clinical training of six or twelve months, as case may be, in the Unani hospital attached to the college will be conducted as follows:-

2304 GZ/13-4

Sl.No.	Departments	Distribution of six months	Distribution of twelve months
(i)	Moalajat including Ilaj bit tadbeer	Two months	Four months
(ii)	Jarahat	One month	Two months
(iii)	Amraz-e-Ain,Uzn, Anf-Halaq wa Asnan	One month	Two months
(iv)	Ilmul Qabalat-wa-Amraz-e-Niswan	One month	Two months
(v)	Amraze Atfal	Fifteen days	One month
(vi)	Tahaffuzi-wa-Samaji Tib (Preventive and Community Medicine)	Fifteen days	One month

(4) Six months training of interns shall be carried out with an object to orient and acquaint the intern with National Health Programme and the intern shall undertake such training in one of the following institutes, namely:-

- (a) Primary Health Centre;
- (b) Community Health Centre or District Hospital;
- (c) any recognised or approved hospital of modern medicine;
- (d) any recognised or approved Unani hospital or dispensary.

Provided that all the above institutes mentioned in clauses (a) to (d) will have to be recognised by the concerned Government for providing such training.

(5) Detailed guidelines for internship programme: The intern shall undertake the following activities in respective department as shown below:-

(a) Moalajat- Duration of internship in this department shall be two months or four months with following activities:-

- (i) all routine work such as case taking, investigations, diagnosis and management of common diseases by Unani medicine;
- (ii) examination of Nabz, Baul-o-Baraz by Unani methods, routine clinical pathological work as haemoglobin estimation, complete haemogram, urine analysis, microscopic examination of blood smears, sputum examination, stool examination, interpretation of laboratory data and clinical findings, and arriving at a diagnosis;
- (iii) training in routine ward procedures and supervision of patients in respect of their diet, habits and verification of medicine schedule;
- (iv) Ilaj bit Tadbeer: Procedures and techniques of various regimenal therapies;

(b) Jarahat- Duration of internship in this department shall be one month or two months and intern should be practically trained to acquaint with following activities:-

- (i) diagnosis and management of common surgical disorders according to Unani principles;
- (ii) management of certain surgical emergencies such as fractures and dislocations, acute abdomen;
- (iii) practical training of aseptic and antiseptics techniques, sterilization;
- (iv) intern should be involved in pre-operative and post-operative managements;
- (v) practical use of anesthetic techniques and use of anesthetic drugs;
- (vi) radiological procedures, clinical interpretation of X-ray, Intravenous Pyelogram, Barium meal, Sonography and Electrocardiogram;
- (vii) surgical procedures and routine ward techniques such as:-
 - (A) suturing of fresh injuries;
 - (B) dressing of wounds, burns, ulcers;
 - (C) incision of abscesses;
 - (D) excision of cysts;
 - (E) venesection;

(c) Amraze-Ain, Uzn, Anf- Halaq wa Asnan- Duration of internship in this department shall be one month or two months and intern should be practically trained to acquaint with following activities:-

- (i) diagnosis and management of common surgical disorders according to Unani Principles;
- (ii) intern should be involved in Pre-operative and Post-operative managements;
- (iii) surgical procedures of ear, nose, throat, dental problems, ophthalmic problems;
- (iv) examinations of eye, ear, nose, throat disorders, refractive error, use of ophthalmic equipment for diagnosis of ophthalmic diseases, various tests for deafness;
- (v) minor surgical procedure in Uzn, Anf, Halaq like syringing and antrum wash, packing of nose in epistaxis, removal of foreign bodies from Uzn, Anf and Halaq at Out-Patient Department level;

(d) Ilmul-Qabalat wa-Amraze Niswan-Duration of internship in this department shall be one month or two months and intern should be practically trained to acquaint with following activities:-

- (i) antenatal and post-natal problems and their remedies;
- (ii) antenatal and post-natal care;

- (iii) management of normal and abnormal labour;
- (iv) minor and major obstetric surgical procedures;
- (e) Amraze Atfal- Duration of internship in this department shall be fifteen days or one month and intern should be practically trained to acquaint with following activities :—
- (i) antenatal and post-natal problems and their remedies, antenatal and Post-natal care also by Unani principles and medicine;
- (ii) antenatal and post-natal emergencies;
- (iii) care of new born child alongwith immunisation programme;
- (iv) important pediatric problems and their managements in Unani system of Medicine;
- (f) Tahaffuzi-wa-Samaji Tib-Duration of internship in this department shall be fifteen days or one month and intern should be trained to acquaint with the programmes of prevention and control of locally prevalent endemic diseases including nutritional disorders, immunisation, management of infectious diseases, family welfare planning programmes etc.
- (6) Internship training in Primary Health Centre or rural hospital or district hospital or civil hospital or any Government hospital of modern medicine: During the six months internship training in Primary Health Centre, Community Health Centre or district hospital or any recognised or approved hospital of Modern medicine or Unani hospital or dispensary, the intern shall—
- (i) get acquainted with the routine of the Primary Health Centre and maintenance of their records;
- (ii) get acquainted with the routine working of the medical or non-medical staff of Primary Health Centre and be always in contact with the staff in this period;
- (iii) get familiar with work of maintaining the register like daily patient register, family planning register, surgical register and take active participation in different Government Health Schemes or Programme;
- (iv) participate actively in different National Health Programmes implemented by the State Government.
- (7) Internship training in Rural Unani dispensary or hospital: During the six months internship training in Rural Unani dispensary or hospital, intern shall-
- (i) get acquainted with the diseases more prevalent in rural and remote areas and their management; and
- (ii) involve in teaching of health care methods to rural population and also various immunisation programmes.
- (8) Internship training in Casualty Section of any recognised hospital of modern medicine: During the six months internship training in Casualty Section of any recognised hospital of modern medicine, intern shall—
- (i) get acquainted with identification of casualty and trauma cases and their first aid treatment; and
- (ii) get acquainted with procedure for referring such cases to the identified hospitals.
- 9. Assessment:** After completing the assignment in various Sections, the intern have to obtain a completion certificate from the head of the Section in respect of their devoted work in the Section concerned and finally submit to the Principal or Head of the institute so that completion of successful internship can be granted.
- 10. Migration of Internship:** (1) Migration of internship will be only with the consent of the both college and University, in case of migration is between the colleges of two different Universities.
- (2) In case migration is only between colleges of the same University, only the consent of both the colleges will be required.
- (3) The migration will be accepted by the University on the production of the character certificate issued by institute or college and application forwarded by the college and University with a No Objection Certificate, as the case may be.
- 11. Examination:** (1) Theory examination shall have minimum twenty per cent. short answer questions having maximum mark up to forty per cent. and minimum four questions for long explanatory answer having maximum marks up to sixty per cent and these questions shall cover entire syllabus of subject.
- (2) A candidate obtaining seventy-five per cent. marks in the subject shall be awarded distinction in the subject.
- (3) The minimum marks required for passing the examination shall be fifty per cent. in theory and practical separately in each subject and in the subjects which are comprised of two papers and have one common practical, the criteria of passing the theory papers will be decided on the basis of achieving fifty per cent marks in aggregate of both the papers.
- (4) If a candidate is failed in the theory or practical exam, he shall be required to appear in supplementary examination in theory as well as practical also.
- (5) The supplementary examination shall be held within six months of regular examination and failed students shall be eligible to appear in its supplementary examination, as the case may be.
- (6) Each student shall be required to attend not less than three-fourth of the lectures delivered and practicals or demonstrations or clinicals held in each subject during each course and each student also be required to participate in educational trips or tours of the college during the year, provided that the Dean or Principal may exempt any one from such participation to the extent be deemed necessary on individual merit of each case.

2304 GI/73-5

(7) In case a student fails to appear in regular examination for cognitive reason, he shall appear in supplementary examination as a regular student, whose non-appearance in regular examination shall not be treated as an attempt and such students after passing examination shall join the studies with regular students and appear for next professional examination after completion of the required period of study.

12. **Migration:** (1) The students may be allowed to take the migration to continue his study to another college after passing the first professional examination, but failed students transfer and mid-term migration shall not be allowed. (2) For migration, the students shall have to obtain the mutual consent of both colleges and Universities and it will be against the vacant seat after obtaining No Objection Certificate from Central Council.

13. **Number of papers and marks for theory and practical :**

Name of the subject	Number of hours of teaching			Details of maximum marks			
	Theory	Practical	Total	Number of papers	Theory	Practical	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PRE-TIB							
1. Tabiyaat (Physics)	180	90	270	one	100	100	200
2. Kimiya (Chemistry)	180	90	270	one	100	100	200
3. Nabatiyat (Botany)	180	90	270	one	100	100	200
4. Haiwaniyat (Zoology)	180	90	270	one	100	100	200
5. English	180	--	180	one	100	--	100
Note: Permission can be given to conduct the Pre-Tib Course in a Science College in nearby vicinity.							
First Professional							
1. Arabic and Mantiq wa Falsifa	100	-	100	one	100	-	100
2. Kulliyat Umoore Tabiya (Basic Principles of Unani Medicine)	100	-	100	one	100	100	200
3. Tashreehul Badan (Anatomy)* Paper (i)- Tashreeh -I Paper (ii)- Tashreeh - II	225	200	425	Two	100 100	100	300
4. Munafeul Aza (Physiology) Paper (i)-Munafeul Aza Umoomi wa Hayati Kimiya (General Physiology and Biochemistry) Paper (ii)-Munafeul Aza Nizami (Systemic Physiology)	225	200	425	Two	100 100	100	300
Note: *Tashreehul Badan Paper-I : General description of Connective tissues, Muscles, Nerves, Upper and Lower Limbs and organs of Head and Neck including basics of Embryology and Genetics like as Chromosomes, Pattern of inheritance, Cyto-genetics and Genetics of important diseases. *Tashreehul Badan Paper-II: General description of Thorax, Abdomen and Pelvis and Applied and Gross Anatomical anomalies of different organs.							
Second Professional							
1. Tareekhe Tib (History of Medicine)	100	-	100	One	100	-	100
2. Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Community Medicine)	150	100	250	One	100	100	200
3. Ilmul Advia Paper (i)- Kulliyate Advia Paper (ii)- Advia Mufradah	200	100	300	Two	100 100	100	300
4. Mahiyatul Amraz Paper (i)-Mahiyatul Amraz Umoomi wa Ilmul Jaraseem Paper (ii)-Mahiyatul Amraz Nizami	200	200	400	Two	100 100	100	300
Note: The students may be divided into three groups for practical or demonstration of Ilmul Advia-I (Advia Mufradah), Tahaffuzi wa Samaji Tib and Mahiyatul Amraz. For demonstration of Advia Mufradah, the student will be posted in Advia Museum and Herbal Garden regularly.							
Third Professional							
1. Communication Skills	100	-	100	One	100	-	100
2. Ilmul Saidla wa Murakkabat Paper (i)- Ilmul Saidla Paper (ii)- Advia Murakkabah	140	100	240	Two	100 100	100	300

3. Tibbe Qanooni wa Ilmul Samoom	100	50	150	One	100	100	200
4. Sareeriyat wa Usoole Ilaj	80	140	220	One	100	100	200
5. Ilaj bit Tadbeer	80	140	220	One	100	100	200
6. Amraze Atfal	80	50	130	One	100	100	200
Note: For Practical training Ilmul Advia-II (Ilmul Saidia wa Murakkabah) and Tibbe Qanooni wa Ilmul Samoom, the students may be divided in two groups. Practicals in both the subjects may be held four days every week. The students will be posted in hospital, in various groups for clinical training of Ilaj bit Tadbeer, Sareeriyat and Amraze Atfal.							
Final Professional							
1. Moalajat - I Paper (i)- Amraz-e-Nizam-e-Dimag wa Aasab and Baah Paper (ii)- Amraz-e-Tanaffus, Dauran-e-Khon, Tauleed-e- Dam, Tihal	150	Clinical duties (in groups) in various sections of Hospital 3-4 hrs per day	-	Two	100	100	300
2. Moalajat - II Paper (i): Amraz-e-Hazm, Baul o Tanasul Paper (ii) Amraz-e-Mutaddiyah, Hummiyat, Jild-o- Tazeeniyat, Amraz-e-mafasil	150		-	Two	100	100	300
3. Amraze Niswan	100		-	One	100	100	200
4. Ilmul Qabalat wa Naumaulood	100		-	One	100	100	200
5. Ilmul Jarahat Paper (i)- Jarahat Umoomi Paper (ii)- Jarahat Nizami	150		-	Two	100	100	300
6. Ain, Uzn, Anf, Halaq wa Asnan	150		-	one	100	100	200

14. Qualifications and Experience for teaching staff for Under Graduate course:

- (I) **Essential-** (a) A degree in Unani Medicine from a University established by law or a statutory Board or Examining Body of Indian Medicine or equivalent and included in Second Schedule of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970);
- (b) a Post-Graduate qualification in Unani from a recognised Institution or University preferably in the concerned subject for the fresh recruitment of lecturers, and this shall be applicable from the academic session 2014-15;
- (c) teaching experience in a recognised institution for ten years and five years for the post of Professor and Associate Professor (Reader), respectively in the concerned subject or in allied subject of the Department concerned; and
- (d) for the post of Assistant Professor (Lecturer) with age not exceeding forty-five years, no teaching experience is required.
- (II) **Desirable:** Original published papers or books on the subject.

Note 1: In case of Private Institution, the teaching experience must be certified by the University concerned.

Note 2: Teachers appointed and working in recognised Unani colleges prior to this notification shall be eligible for appointment or promotion for the post of Professor, Associate Professor (Reader) and Assistant Professor (Lecturer) in the respective discipline without post graduate qualification.

Note 3: In case of absence of teachers holding Post-Graduate Degree in required speciality of Unani, the Doctor of Medicine in the allied subjects shall be considered.

Note 4: Provision for Allied Subjects: The provision shall continue for five years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and the details of the Allied subjects shall be as follows:

Sl. No.	Subject	Allied Subjects
1.	Tashreehul Badan	Ilmul Jarahat or Kulliyate Tib
2.	Munafeul Aza	Kulliyate Tib
3.	Saidla	Ilmul Advia
4.	Tibbe Qanooni wa Ilmul Samoom	Tahaffuzi wa Samaji Tib or Moalajat or Ilmul advia
5.	Sareeriyat	Moalajat
6.	Mahiyatul Amraz	Moalajat or Kulliyate Tib
7.	Ilaj bit Tadabeer	Moalajat or Tahaffuzi wa Samaji Tib
8.	Amraze Jild	Moalajat
9.	Amraze Uzn, Anf, Halaq wa Asnan	Ilmul Jarahat or Moalajat
10.	Amraze Ain	Ilmul Jarahat or Moalajat
11.	Ilmul Atfal	Moalajat or Qabalat wa Amraze Niswan

15. Qualification of teachers for Pre-Tib course:

(a) For subjects of Basic Sciences- Master of Science (M.Sc.) first or second class in the respective subject.

(b) For the subject of Arabic and Persian, Fazil with Arabic or Persian or equivalent Examination.

Note: For the subjects of Sciences and Languages, there shall be the provision of lectureship only.

16. Qualification for the Post of Head of the Institution (Principal or Dean or Director):

(I) **Essential:** The qualification and experience prescribed for the Post of Professor shall be essential for these Post of Head of the Institution (Principal or Dean or Director).

(II) **Desirable:** (i) Post-Graduate qualifications in Unani Tib;

(ii) At least five years administrative experience;

(iii) Original published work in any subject of Unani Tib; and

(iv) Good Knowledge of Arabic or Persian and English.

17. Appointment of Examiner in Unani: No person other than regular or retired teacher with minimum three years teaching experience in the concerned subject shall be considered eligible for an examiner.

SHAMSHAD BANO, Registrar-cum-Secy.

[ADVT III/4/Exty./124/13]

- If any discrepancy is found between Hindi and English version of the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2013 the English version will be treated as final.